न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2012/00176

बजरंगी आत्मज मांग्या आयु 60 वर्ष पत्नी खाना जाति गुर्जर निवासी कल्याणी खेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

मांगी आयु 47 वर्ष विधवा पत्नी श्री चौथमल जाति गुर्जर निवासी सहण तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 13.05.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थिया अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 92 (क) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र संख्या 63/2009 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया । इसके अतिरिक्त प्रार्थिया ने एक अन्य प्रार्थना पत्र संख्या 16/2011 बाबत् नियुक्त किये जाने रिसीवर प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बिहारीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 58/371 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 59 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 60 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 63 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 64 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 68 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 70 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 74 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 76 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 78 रकबा 08 बिस्वा,

खसरा नम्बर 83 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा कुल 13 किता रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिया सहखातेदार काश्तकार है । वादग्रस्त आराजी का प्रार्थिया ने मौखिक बंटवारा किया हुआ है । मौखिक बंटवारे के अनुसार प्रार्थिया के हिस्से में खसरा नम्बर 84 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 58/371 रकबा 02 बीघा व खसरा नम्बर 74 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि हिस्से आई है जिस पर वह काबिज काश्त है । अप्रार्थी प्रार्थिया के हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं और उक्त भूमि से प्रार्थिया का बेदखल करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थिया के पक्ष में है यदि दौराने बाद अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थिया को होगी ।

3. अतः प्रार्थिया के दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थिया के कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 84 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 58/371 रकबा 02 बीघा व खसरा नम्बर 74 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा पर प्रार्थिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करें उक्त भूमि से प्रार्थिया को बेदखल नहीं करें । विकल्प में प्रार्थिया के हिस्से 1/2 भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

4. अप्रार्थी कम 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्रों को समेकित कर अपने आदेश दिनांक 07.06.2012 के द्वारा दोनों प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा एवं बाबत् नियुक्त किये जाने रिसीवर खारिज कर दिये ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2012 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने गलत आदेश पारित किया है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिया अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा निहित है । अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया अपीलान्ट के हिस्से एवं कब्जे की आराजी में उनके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थिया अपीलान्ट के पक्ष में है । वादग्रस्त आराजी इनमिडियो है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिया अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा निहित है जिसे वह प्राप्त करने की अधिकारिनी है । रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के हिस्से की आराजी पर अवैध रूप से कब्जा करने पर आमादा है । वादग्रस्त आराजी का मौखिक विभाजन हो चुका है । अपीलान्ट मौखिक विभाजन के अनुसार अपने हिस्से में प्राप्त हुई भूमि पर काबिज है और वह अस्थायी

निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थिया अपीलान्ट के पक्ष में है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार व कब्जा नहीं है । उक्त भूमि की तन्हा खातेदार व काबिज रेस्पोडेन्ट है । उक्त भूमि का किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हुआ है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी इनमिडियो नहीं है । अपीलान्ट लगभग 50 वर्ष पूर्व से ही अपने ससुराल रह रही है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । कब्जे के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में पडौसी काश्तकारों के शपथ पत्र भी पेश किये हैं । परीक्षण न्यायालय ने अपना आदेश पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2012 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रार्थिया अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में दो अलग–अलग प्रार्थना पत्र पेश किये । एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा एवं दूसरा नियुक्त किये जाने बाबत् रिसीवर । परीक्षण न्यायालय ने उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों का समेकित कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्र खारिज किये हैं ।

11. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बिहारीपुर की कुल 13 किता की रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा भूमि बजरंगी पुत्री मांग्या एवं मांगी बेवा चौथमल के खातेदारी में दर्ज है । शपथ पत्र किशन आत्मज देवलाल, भंवर लाल आत्मज प्रभूलाल, छोटू आत्मज देवीलाल, सत्यनारायण आत्मज रामदेव द्वारा दिनांक 23.08.2011 को प्रेषित किये । उक्त शपथ पत्रों में वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट मांगी बाई का होना बताया है । फोटो प्रति लगान की रसीद पेश की हैं । इसके अलावा पत्रावली पर फोटो प्रति एफ.आर. संख्या 28/2011 पुलिस थाना देई, फोटो प्रति मौका नक्शा दिनांक 07.04.2011 एवं फोटो प्रति बयान धारा 161 सीआरपीसी पुलिस थाना देई संलग्न हैं ।

12. परीक्षण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी इनमिडियो बताते हुए वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त करने का कथन किया था । वहीं दूसरे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा होना बताते हुए अपने कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का कथन किया है । प्रार्थिया अपीलान्ट की दोनों कथन विरोधाभासी प्रतीत होते हैं । प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में उक्त अपील में वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त करने का कथन किया है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न शपथ पत्रों एवं अन्य दस्तावेजात से वादग्रस्त आराजी इनमिडियो होना साबित नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा अपना आदेश पारित करने में किसी

प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2012 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 13.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा